



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 580]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2017/आषाढ़ 9, 1939

No. 580]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2017/ASADHA 9, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सा.का.नि. 805(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 683(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 8/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 के हिन्दी पाठ में,—

1. पृष्ठ 11 पर,—

(i) पंक्ति 39 के पश्चात् अंतःस्थापित करें,— “4. जहां किसी गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में निकासी के सीमाशुल्क केंद्र तक किसी जलयान द्वारा माल के परिवहन के माध्यम से किसी गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई कराधेय सेवा का मूल्य, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं है, वहां वह मूल्य आयातित माल के सीआईएफ मूल्य (लागत, बीमा और माल भाड़े का योग) के 10% के रूप में समझा जाएगा।”;

(ii) पंक्ति 40 में, “4” के स्थान पर “5” पढ़ें ;

2. पृष्ठ 12 पर,—

(i) पंक्ति 2 में, “सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम” शब्दों के स्थान पर “भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 28 जून, 2017 में सा.का.नि. 690(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय कर (दर) से उपाबद्ध सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम” पढ़ें।”;

(ii) पंक्ति 23 में, “5” के स्थान पर “6” पढ़ें।

[फा. सं. 334/1/2017-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 30th June, 2017

G.S.R. 805(E).—In the English version of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 8/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017, at page 22,-

(i) after line 6, insert “4. Where the value of taxable service provided by a person located in non-taxable territory to a person located in non-taxable territory by way of transportation of goods by a vessel from a place outside India up to the customs station of clearance in India is not available with the person liable for paying integrated tax, the same shall be deemed to be 10 % of the CIF value (sum of cost, insurance and freight) of imported goods.”;

(ii) in line 7, *for* “4” *read* “5”;

(iii) in line 10, *for* “scheme of classification of services”, *read* “scheme of classification of services annexed to notification No. 11/2017-Central Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 28th June, 2017 *vide* GSR number 690(E) dated 28th June, 2017.”;

(iv) in line 34, *for* “5” *read* “6”.

[F. No. 334/1/2017–TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सा.का.नि. 806(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 11/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 702(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के पृष्ठ 12, पंक्ति 3 में, “सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम” शब्दों के स्थान पर “भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 28 जून, 2017 में सा.का.नि. 690(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय कर (दर) से उपाबद्ध सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम” पढ़ें।

[फा. सं. 334/1/2017-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th June, 2017

G.S.R. 806(E).—In the English version of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 11/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 702(E), dated the 28th June, 2017, at page 20,- “in line 26, *for* “scheme of classification of services”, *read* “scheme of classification of services annexed to notification No. 11/2017-Central Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 690(E), dated 28th June, 2017.”.

[F. No. 334/1/2017–TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.